

मांग संख्या 57  
मुख्य शीर्ष 4701

**मद क्रमांक 1**

राज्य शासन द्वारा निर्देशन और प्रशासन स्थापना के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान पर इस वर्ष रूपये 3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2 से 5**

राज्य शासन ने ए.डी.बी. सहायित छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना के अन्तर्गत निम्ननुसार 12 वाहन, कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर एवं मशीन किये जाने का निर्णय लिया गया है । यह नवीन मद का व्यय है ।

**वाहन**

एग्रीकल्चर समन्वय	-	1
सर्वेक्षण	-	6
प्रशिक्षण केंद्र	-	4
मुख्यालय पी.एम.आई.	-	1

**कार्यालयीन उपकरण**

आडियो विजुवल	4	सेट
प्रोजेक्टर	4	सेट
व्ही.सी.आर./सी.डी.पी.	4	सेट
ओ.एच.पी.4,स्क्रीन	8	सेट
फोटो कापीयर	6	सेट
स्क्रीन	8	सेट

**मशीन एवं उपकरण**

प्लार	4	सेट
टोपोलॉजिकल सर्वे उपकरण	8	सेट
जी.पी.एस. सिस्टम	12	नग
पोर्टेबल जनरेटर	4	नग

**सूचना प्रौद्योगिकी**

आटोकॉट साफ्टवेयर	1	नग
अन्य साफ्टवेयर	2	सेट
कम्प्यूटर	9	नग
कम्प्यूटर वर्कस्टेशन	10	नग
प्रिंटर ए-3 साईज	4	नग
स्कैनर/फॅक्स	5	नग
यू.पी.एस.	12	नग
लेपटाप कम्प्यूटर	8	नग
डेस्कटाप कम्प्यूटर	24	नग
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	80	सेट
हेवी ड्यूटी प्रिंटर	9	नग

अतः इस प्रयोजन हेतु अनुपूरक अनुदान बजट में रूपये 400 के प्रतीक प्रावधान किया गया है ।